न्यायालय सहायक कलक्टर कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– गगांधर मीणा (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
255/2016	31.08.2016	03.03.2022

उनवान

1. सुरजभान
2. सुबेसिंह पुत्रान पिरानसुख जाति अहीर निवासी रडवा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादीगण

बनाम

1. जुगलदास पुत्र नेनीराम उर्फ नौतीतलाल जाति खत्री निवासी मिजापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0। (मृतक)

1/1 कालूराम पुत्र जुगलदास जाति खत्री निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0।

.... प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 03.03.2022

उपस्थिति :–
1– श्री हेतराम पोशवाल, वकील वादी
2– प्रतिवादी अनुपस्थित

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है :–
हाल खसरा संख्या 109 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम मोजा मिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है कि जो आगे वाद में विवादित आराजी के नाम से संबोधित की जावेगी। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 109 रकबा 5–19 बिस्वा जो कि गत खसरा नम्बर 130/0–02, 211/0712, 212/0–19, 213/0–15, 214/0–15, 226/0–05, 251/0–02, 251/1/1–00, 252/2/1–00 बीघा वाके ग्राम मोजा मिजापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 से पैमूद हुए है। उपरोक्त विवादित आराजीयात गत खसरा नम्बर 130/0–02, 211/0712, 212/0–19, 213/0–15, 214/0–15, 226–05, 251/0–02, 251/1/1–00, 252/2/1–00 बीघा कुल किता 9 कुल रकबा 5–10 बिस्वा को मिन वादीगन ने जरिये रजि0 बयनामा बाजाप्ता बाकब्जा समस्त प्रतिफल राशि अदा कर खरीद किया था। कि तब से ही मिन वादीगन विवादित आराजी पर शान्ति पूर्वक

काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर हमारा ही कब्जा काश्त है। उपरोक्त विवादित आराजीयात का इन्तकाल दर्ज करने हेतु वादीगन ने बयनामा पटवारी हल्का को दे दिया था। तथा पटवारी हल्का द्वारा वादीगन से यह कहा कि आप किसी बात की चिन्ता ना करे मै बयनामा के आधार पर आपके हक में इन्तकाल दर्ज कर स्वीकार करवा भी करवा लूंगा। मिन वादीगन को अब आराजर के विकास विस्तार हेतु बैक से लोन लेना था इसलिए जमान्दीयात की आवश्यकता हुई जिस पर मिन वादीगन ने पटवारी हल्का से माह जून 2016 से सर्म्पक किया तो पटवारी हल्का द्वाा हमे बताया कि आपके हक में रकबा 5 बिघा 10 बिस्वा में से केवल रकबा 2–08 बिस्वा का ही अमल हाल राजस्व रिकोर्ड में हुआ है बाकी रकबा 3–08 बिस्वा का अमल तो जुगलदास के हो रहा है। जिस पर मिन वादीगन ने प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से सर्म्पक कर बाकी रकबा 3–08 बिस्वा का इन्तकाल हम वादीगन के हक में दर्ज कराने हेतु कहा जिस पर प्रतिवादी पहले तो हां हां करता रहा लेकिन अब दिनांक 12.08.16 को हम वादीगन से कहा कि आप अदालत श्रीनम में चाराजोई कर अपने हक में इन्तकाल करा लेवे। मिन वादीगन के अधिकार कानुन द्वारा रक्षित है। अतः अपने अधिकारो की रक्षार्थ वादीगन विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 109 रकबा 5–16 बिस्वा में से बाकी रकबा 3–08 बिस्वा का अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करार दिलाने के अधिकारी है। तथा राजस्व रिकोर्ड हाल से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को कमलजन करा कर समस्त रकबा का अपने नाम का अमल दरामद कराने के अधिकारी है। अतः दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्त इन्द्राज करना लाजिम आया।

वादी के द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि बयनामा तहरीर दिनांक 19.06.1971 व तस्दीक दिनांक 06.07.1971 गत खसरा नम्बर 130/0–02, 211/0712, 212/0–19, 213/0–15, 214/0–15, 226/0–05, 251/0–02, 251/1/1–01, 252/1–00 बिघा वाके मोजा मिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 जिसके हाल खसरा नम्बर 109 रकबा 5–16 बिस्वा में से बाकी बचे रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा वाके मोजा मिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 का वादीगन को खातेदार काश्तकार घोषित करार दिया जावे तथा राजस्व रिकोर्ड हाल जमाबन्दीयात में जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम का अमल दरामद हो रहा है को कलमजन किया जावे तथा बाद दुरूस्ती राजस्व रिकोर्ड वादी के नाम का अमल खातेदारी का दरामद हाल जमाबन्दीयात राजस्व रिकोर्ड किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी करवाए जाने के बाद प्रतिवादी उपस्थित नही होने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में प्रदर्श–1 सम्वत 2072–75, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सैटलमेन्ट 2029, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–4 पट्टा नकल, प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2076–79, प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2030, प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2035–39, प्रदर्श–8 बैयनामा पेश किये। जो शामिल मिसल है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी में उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण को यह आराजीयात खरीदशुद्दा होने की स्थिति वादीगण के वाद का यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

—:: निर्णय ::—

अतः वाद वादी बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 5—16 बिस्वा में से बाकी बचे रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा वाके मोजा मिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खसरा नम्बर में अंकन प्रतिवादी के नाम को हजफ कर हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम का अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
सहायक कलक्टर
कोटकासिम (अलवर) राज0